न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी चन्द्रशेखर भण्डारी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 62/2023(पुरानी–18/2022) GCMS No.-26/2023
प्रविष्टि दिनांकः– 27.10.2023(पुरानी–14.09.2022)
निर्णय दिनांक :– 13.11.2024

::–उनवान–::

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय

–अपीलान्ट

बनाम

1. कल्याणसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत निवासी ग्राम राममालिया तहसील भिनाय जिला केकड़ी

–रेस्पोडेण्ट

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थित :
1. तहसीलदार भिनाय, राजकीय पेरोकार।
2. अनुपस्थित–रेस्पोडेण्ट

::–निर्णय–::

दिनांक 13.11.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू–आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 07.06.1992 को प्रतिपक्षी को आ0ख0नं0 573 रकबा 06–10–00 बीघा भूमि वाके ग्राम राममालिया तह0 भिनाय में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थी की गई। **अप्रार्थी ने नोटिस लेने इन्कार किया गया। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश किये जाकर आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। राजकीय पेरोकार की एकतरफा बहस सुनी गई।**

राजकीय पेरोकार ने दौराने बहस कथन किया है कि अप्रार्थी कल्याणसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत निवासी ग्राम राममालिया तहसील भिनाय जिला केकड़ी को ग्राम राममालिया के वर्किंग खसरा नं0 573 रकबा 06–10–00 बीघा भूमि दिनांक 07.06.1992 को आवंटित हुई। मुताबिक आवंटन आदेश नामान्तरण सं0 176 दिनांक 27.05.1993 से कल्याणसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत निवासी ग्राम राममालिया के नाम

गैर खातेदारी में दर्ज हुई। जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नं0 1230 रकबा 0.45 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता बने हैं जो वर्तमान जमाबंदी अनुसार कल्याणसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत निवासी ग्राम राममालिया के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हैं।

राजकीय पेरोकार का कथन है कि आवंटन तिथि से आज तक आवंटी ने आवंटित भूमि को कभी काश्त नहीं की है और ना ही मौके पर आवंटी का कब्जा है। मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर आम रास्ते के उपयोग में लिया जाना दर्शाया है। अतः आवंटी द्वारा आवंटित भूमि को निरन्तर काश्त नहीं करने एवं मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने व उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि होने कारण उक्त आवंटन निरस्त योग्य है।

हमने राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेजात नही है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन होने के पश्चात उक्त भूमि काश्त की गई हो।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14 की उपधारा (3) मे आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष मे भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पडेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष मे आवश्यक रूप से जोतने की शर्त है, परन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त नियम की पालना मे आवंटित भूमि को तत्समय नही जोता तथा उसके पश्चात भी आज तक नहीं जोता है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि मे काश्त न कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। राज्य सरकार का उद्देश्य भूमिहीन कृषको को भूमि आवंटन कर उनके द्वारा भूमि काश्त कर उसके जीविकोपार्जन हेतु दिये जाना है, परन्तु जब आवंटी द्वारा भूमि काश्त नही की जाती है तो उस आवंटन का कोई औचित्य नही रहता है। अतः ऐसी स्थिति मे आवंटन यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कल्याणसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत निवासी ग्राम राममालिया तहसील भिनाय जिला केकड़ी को दिनांक 07.06.1992 को ग्राम राममालिया के खसरा नं0 573 रकबा 06–10–00 बीघा भूमि किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/11/24

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
पीठासीन अधिकारी
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी